## <u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद</u> <u>जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण कमांक : 2284/14

संस्थापन दिनांक : 24.12.2014

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

- अभियोजन

## बनाम

1-रामिकशोर उर्फ लला पुत्र छोटेलाल कुशवाह उम्र 27 साल निवासी ग्राम बानगंगा थाना मौ जिला भिण्ड

– अभियुक्त

## निर्णय

( आज दिनांकको घोषि
--------------------

- उपरोक्त अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर भा.द.स.की धारा 337, 338 के आरोपित आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है शेष विचारणीय धारा 279 भा.द.स. एवं धारा 39/192 मोटरयान अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 16.10.14 को 13:00 बजे बरौली के जाटव के मकान के पास रसनौल रोड थाना मौ जिला भिण्ड पर मोटरसाइकिल प्लेटिना चेसिस क्रमांक एमडी2ए1876ईपीए36803 को सार्वजनिक स्थापन उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को सार्वजनिक स्थान पर बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया।
- 2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 16.10.14 को फरियादी विजय अ०सा०1, देवीराम अ०सा०2, गोविन्द अ०सा०3 अपनी मोटरसाइकिल कमांक एम०पी०—30—एम.डी.4314 से सलमपुरा से गुहीसर की ओर जा रहे थे। जैसे ही वह बरौली बाले के मकान के पास पहुंचे तो गुहीसर तरफ से बिना नंबर की मोटरसाइकिल प्लेटिना 100सी.सी. का चालक अपनी मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे गोविन्द के हाथों व पैरों में चोटें आईं। देवीराम के सिर में व पैरों में चोटें आई थीं। तत्पश्चात फरियादी विजय अ०सा०1 ने थाना मौ में आरोपी के विरुद्ध एफआईआर प्र०पी—1 दर्ज कराई जिस पर से अप०क० 355/14 पंजीबद्ध

10

कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

- 3. आरोपी ने अपराध विवरण की विशिष्टियों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
- 4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि :--
  - 1. क्या आरोपी ने दिनांक 16.10.14 को 13:00 बजे बरौली के जाटव के मकान के पास रसनौल रोड थाना मौ जिला भिण्ड पर मोटरसाइकिल प्लेटिना चेसिस क्रमांक एमडी2ए1876ईपीए36803 को सार्वजनिक स्थापन उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
  - क्या आरोपी ने उक्त दिनांक व समय पर उक्त वाहन को सार्वजनिक स्थान पर बिना रिजस्ट्रेशन के चलाया ?

## //विचारणीय प्रश्न क्रमांक ०१ व ०२ का सकारण निष्कर्ष//

- 5. फरियादी विजय ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 16.10.14 को वह स्पलेण्डर मोटरसाइकिल से रसनौल जा रहे थे जिसे गोविन्द अ0सा03 चला रहा था तब सामने से बिना नंबर की प्लेटिना मोटरसाइकिल स्पीड से आई और उनकी स्पलेण्डर मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी मोटरसाइकिल रामिकशोर चला रहा था उसने घटना की रिपोर्ट प्र0पी—1 की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पुलिस को दुर्घटनास्थल बताया था नक्शामीका प्र0पी—2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में विजय ने कथन किया है कि उसने दुर्घटना के समय रामिकशोर को देख लिया था और तभी से वह रामिकशोर को पहचानता है परन्तु रिपोर्ट प्र0पी—1 में उसने रामिकशोर का नाम नहीं बताया। उसे रामिकशोर पुलिसवालों ने बताया था। तत्पश्चात पहचान का प्रश्न व्याप्त होने से विजय की साक्ष्य स्थिगत की गयी। तदोपरांत विजय की मृत्यु होने से विजय का प्रतिपरीक्षण पूर्ण नहीं हो का और पहचान के प्रश्न पर साक्ष्य प्राप्त नहीं की जा सकी।
- 6. आहत देवीराम अ०सा०२ व व गोविन्द अ०सा०३ ने कथन किया है कि जब वह रसनौल रोड से गुहीसर जा रहे थे तब एक अज्ञात चालक की मोटरसाइकिल से उनका एक्सीडेन्ट हो गया था जिसमें उन्हें चोटें आईं थीं और दुर्घटना के समय दोनों गाड़ियां धीरे चल रही थी। दुर्घटना करने वाली गाड़ी को कौन चला रहा था वह नहीं बता सकता और साक्ष्य के दौरान उपस्थित आरोपी रामिकशोर को देखकर उक्त दोनों साक्षीगण ने इंकार किया है कि घटना के समय आरोपी रामिकशोर मोटरसाइकिल तेजी व लापरवाही से चला रहा था और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी पुलिस कथन में दिए जाने से इंकार किया है।
- 7. घटना के समय विजय, गोविन्द अ०सा०३ व देवीराम अ०सा०२ का साथ होना बताया है। देवीराम अ०सा०२ व गोविन्द अ०सा०३ ने आरोपी को देखकर ६ ाटना के समय उपेक्षापूर्वक वाहन चलाये जाने से इंकार किया है और विजय ने आरोपी को घटनास्थल पर पहचानना और उसका नाम पुलिस द्वारा बताये जाने के

आधार पर बताना व्यक्त किया है। उसके उक्त कथन धारा 33 साक्ष्य अधिनियम के अधीन ग्राह्य भी किए जायें तब भी पहचान के प्रश्न पर उसकी साक्ष्य पर बचाव पक्ष को प्रतिपरीक्षण का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः विजय द्वारा उल्लिखित व्यक्ति इस प्रकरण का आरोपी रामकिशोर ही है यह सिद्ध नहीं माना जा सकता है।

- अतः घटना के समय आरोपी द्वारा ही वाहन को परिचालित किया गया था। यह अभियोजन साक्ष्य से सिद्ध नहीं होता है। गोविन्द अ०सा०३ और देवीराम अ०सा०२ के कथन से दुर्घटना के समय वाहन उपेक्षापूर्ण परिचालित किया जाना सिद्ध नहीं होता है।
- 9. परिणामतः अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 16.10.14 को 13:00 बजे बरौली के जाटव के मकान के पास रसनौल रोड थाना मौ जिला भिण्ड पर मोटरसाइकिल प्लेटिना चेसिस क्रमांक एमडी2ए1876ईपीए36803 को सार्वजिनक स्थापन उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को सार्वजिनक स्थान पर बिना रिजस्ट्रेशन के चलाया।
- 10. परिणामतः आरोपी को धारा 279 भा.द.स. एवं धारा 39 / 192 मोटरयान अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 11. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 12. प्रकरण में जप्त मोटरसाइकिल प्लेटिना चेसिस क्रमांक एमडी2ए1876ईपीए36803 पूर्व आवेदक पूरनिसंह की सुपुर्दगी में है। अतः सुपुर्दगीनमा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित समझा जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / —
(गोपेश गर्ग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0